कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नगर निगम मुख्यालय, रंग मंदिर के पास, गांधी चौक, छोटापारा, रायपुर (छ.ग.)
Pho. no. 0771-2535780,90, Fax. 077172227395, E-mail- dc_rmc@rediffmail.com

//रूचि की अभिव्यक्ति//

क्रमांक – 723/भ.नि.अ. प्र./न.पा.नि./2023 रायपुर दिनांक 26/07/2023

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन के कार्य हेतु विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधियां 2012 प्रभावशील है जिसके तहत् विज्ञापन से संबंधित कार्य किये जाते है नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी स्थानों का स्थल निरीक्षण करने के साथ विज्ञापन के लिए बाजार दरों का सर्वे करते हुए विज्ञापन कार्य के लिए विस्तृत गाईडलाईन एवं ऑनलाईन डेशबोर्ड बनाया जाना है इस हेतु अनुभवी संस्थाओं से ''नगर पालिक निगम, रायपुर के लिए विज्ञापन कार्य हेतु विस्तृत गाइडलाईन एवं ऑनलाईन डेशबोर्ड बनाये जाने हेतु संस्था के चयन का कार्य'' हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) दिनांक 17/8/23 समय सायं 5:00 बजे तक नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश शाखा, कक्ष क्र. 311 में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस हेतु विस्तृत विवरण, नियम शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamraipur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये EOI पत्रक हेतु राशि रूपये 20,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

Bhola vikas sir Eoi

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय दर हेतु प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम, रायपुर के लिए विज्ञापन कार्य हेतु विस्तृत गाइडलाईन एवं ऑनलाईन डेशबोर्ड बनाये जाने हेतु संस्था के चयन का कार्य।

संदर्भ :– नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित ई.ओ.आई क्रमांक............... दिनांक ....।

––––000––––

क.	कार्य का नाम	दर (राशि रू. में)
1.	नगर पालिक निगम, रायपुर के लिए विज्ञापन कार्य हेतु विस्तृत गाइडलाईन एवं ऑनलाईन डेशबोर्ड बनाये जाने हेतु संस्था के चयन का कार्य	

ई.ओ.आई की समस्त शर्तो का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्ते हमें मंजूर है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नही है।

एजेन्सी का नाम :–

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :–

पूर्ण पता :–

दूरभाष क. एवं मोबाइल क. :–

अमानति राशि रू. 1.00 लाख के एफ.डी.आर. का विवरण :–

Scanned with OKEN Scanner

नगर पालिक निगम, रायपुर के लिए विज्ञापन कार्य हेतु विस्तृत गाइडलाईन एवं ऑनलाईन डेशबोर्ड बनाये जाने हेतु संस्था के चयन का कार्य के नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न कर बंद लिफाफे में नाम, पता, मोबाईल नं. अंकित कर नगर निवेशक नगर निवेश शाखा न.पा.नि. रायपुर के नाम से कक्ष क. 311 में स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करेंगे।
2. इच्छुक संस्था राशि रू. 20,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से बनाकर आवेदन के साथ संलग्न कर जमा करेंगे।
3. आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में पैन कार्ड, जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन, संस्था का रजिस्ट्रेशन/पंजीयन का प्रमाण पत्र, विगत 03 वर्षो का आई.टी.आर, इस तरह के कार्य से संदर्भित अनुभव प्रमाण पत्र।
4. अमानती राशि रूपये 1,00,000,.00 का डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी किया गया हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।

कार्य विवरण–

5. रायपुर नगर निगम क्षेत्र का सर्वे कर पुरें नगर निगम क्षेत्र को विज्ञापन मुक्त क्षेत्र एवं विनियमित विज्ञापन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करना।
6. प्रत्येक विनियमित विज्ञापन क्षेत्र के लिए होर्डिंग की अधिकतम संख्या निर्धारित करना तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए सड़क के किनारे, छत के उपर तथा मार्ग के मध्य क्षेत्र में होर्डिंग का स्थल स्थिति अनुसंथापन तथा अन्य सुसगत विशिष्टताओं का पृथक–पृथक निर्धारण करना।
7. शासन या स्थानिय निकाय से संबंधित भूमि/भवन पर विज्ञापन के अधिकारों के लिए किये जाने वाले निविदा का प्रारूप बनाना एवं इस का एस.ओ.पी.(निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया तथा रीति) बनाना।
8. बाजार दरों का सर्वे कर निजी या अन्य संपत्ति पर छत के उपर या जमीन पर लगाये जाने वाले विज्ञापन(यूनीपोल, विंडो एडवटाईजमेंट, बैनर पोस्टर, एल.ई.डी. बोर्ड, शॉप फांन्ट एडवटाईजमेंट, मोबाईल होर्डिंग, कर्मिशियल होर्डिंग, डायरेक्शन बोर्ड) के संबंध में किराये के लिए दर निर्धारित करना।
9. होर्डिंग की स्थिरता एवं उसमें अंतरवंलित जन सुरक्षा को सुनिश्चित करनें हेतु तकनीकी मानकों को विहित करना।
10. दो होर्डिंगों के बीच की दूरी, चौक से न्यूनतम दूरी का निर्धारन, होर्डिंगों की अधिकतम साईज, होर्डिंगों की उंचाई, किसी एक भवन में स्ट्रैक्चर के अनुरूप अधिकतम कितने होर्डिंग लगाये जा सकते है का निर्धारण करना।
11. विभिन्न विज्ञापन माध्यम जैसे– कर्मिशियल होर्डिंग, विंडो एडवटाईजमेंट डायरेक्शन बोर्ड शॉप फांन्ट एडवटाईजमेंट बोर्ड, मोबाईल होर्डिंग, एल.ई.डी. बोर्ड, इत्यादि के अनुमति से संबंधित पूर्ण प्रक्रिया का स्पष्ट निर्धारण करना।
12. अवैध विज्ञापन के लिए अर्थदण्ड का प्रावधान का निर्धारण करना।
13. अस्थाई बैनर, पोस्टर, झण्डा, स्वागत द्वार, शामीयना के लिए दरें निर्धारण करना।

शेष पृष्ठ कमशः 02

Scanned with OKEN Scanner

14. उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए जो भी नियम आवश्यक हो उनका निर्धारण किया जाना।

15. उपरोक्त प्रावधानों के साथ विस्तृत गाईडलाईन कार्यादेश प्राप्त होने के 2 माह के भीतर बनाया जाना होगा जिसमें नगर निगम के दिशा निर्देश के अनुसार आवश्यक सुधार करते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

16. निजी भूमि/भवन में लगाये जाने वाले विज्ञापन बोर्डों के लिए ऑन लाईन डेश बोर्ड एवं मोनिटरिंग रिपोर्टिंग सिस्टम बनाये जाना जिसमें एजेंसियों के पंजीयन के सम्पूर्ण प्रक्रिया के साथ एजेंसियों को विज्ञापन बोर्ड की अनुमति दिये जाने का प्रावधान रखना, सभी होर्डिंगों की जियों टैगिंग किया जाना प्रतिवर्ष होर्डिंगों के विज्ञापन शुल्क का डिमांड जारी एवं पेमेंट भुगतान का ऑप्शन पोटल में ही ऑनलाईन के माध्यम से दिया जाना। एस.एम.एस. अलर्ट का ऑप्शन रखना शुल्क भुगतान नहीं होने की दशा में लाईसेंस होल्ड करने का प्रावधान रखना, विभिन्न तरह के रिपोर्ट जनरेशन का विकल्प रखना साथ–ही–साथ उक्त ऑनलाईन डेश बोर्ड का संचालन संधारण 5 वर्षो के लिए करना होगा।

17. गाईड लाईन अनुमोदन दिनांक से 1 माह के भीतर ऑनलाईन डेश बोर्ड निर्मित कर रन किया जाना होगा।

18. शासकीय संपत्तियों पर लगायें जाने वाले विज्ञापन माध्यमों के लिए ऑन लाईन टेडरिंग का पोटल में प्रावधान रखना।

19. **<u>एजेंसी चयन की प्रक्रिया–</u>**

उपरोक्त कार्य हेतु चयन की प्रक्रिया क्यू सी.बी.एस. पद्धति पर आधारित होगी जिसमें 70 प्रतिशत अंक तकनीकी दस्तावेजों के आधार पर एवं 30 प्रतिशत अंक वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर दी जायेगी। तकनीकी दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेगे।

क्रं.	विवरण	अंक
1	तकनीकी दस्तावेज पूर्णरूप से जमा होने पर	20
2	समान प्रकृति के कार्यो का अनुभव	30
	1.यदि दस वर्ष या दस वर्षो से अधिक का अनुभव है तो	30
	2. यदि 5 वर्षो से ज्यादा एवं दस वर्षो से कम का अनुभव है तो	20
	3. यदि 5 वर्ष या कम का अनुभव है तो	10
3	प्रस्तुतिकरण (आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा गठित समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा)।	50
	कुल अंक	100

उपरोक्त 100 में से 70 अंक पाये जाने पर एजेंसी वित्तीय लिफाफा खोले जाने हेतु पात्र होगी। तकनीकी राउड में प्राप्त अंको का 70 प्रतिशत वेटेज लिया जायेगा एवं वित्तीय दर वित्तीय दर में न्यूनतम वित्तीय दर को 100 प्रतिशत मानते हुए बाकी एजेंसियों का वित्तीय स्कोर निकाला जायेगा। वित्तीय स्कोर का 30 प्रतिशत वेटेज लिया जायेगा। उपरोक्त गणना के पश्चात् जिस एजेंसी को अधिकतम अंक प्राप्त होगें। उसे सफल निविदाकार माना जायेगा।

शेष पृष्ठ क्रमशः 03

Scanned with OKEN Scanner

20. भुगतान 03 चरणों में किया जायेगा–

1. विस्तृत सर्वे पूर्ण कर गाईडलाईन बनाकर दिये जाने एवं उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से होने के पश्चात् निविदा राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।
2. ऑनलाईन सिस्टम डेवलप एवं रन करने के उपरांत 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. अंतिम 25 प्रतिशत की राशि में से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की राशि ऑनलाईन डेशबोर्ड/सॉफटवेयर के मेटेंनेश कार्य के एवज में दिया जायेगा। इस प्रकार एजेंसी को कुल 25 प्रतिशत राशि 5 वर्षो में दी जायेगी।

21. अनुबंध करने के पश्चात् यदि कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है और कार्य पूर्ण करने के पूर्व कार्य को छोड़ा जाता है तो जमा की गयी अमानती राशि राजसात करते हुये संस्था का नाम काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

22. गाईडलाईन बनाने हेतु 2 माह की समय अवधि निर्धारित है जिसमें विलम्ब किये जाने से प्रतिदिन 2000 रू. की दर से जुर्माना लिया जायेगा। ऑनलाईन डेश बोर्ड बनाये जाने हेतु गाईडलाईन अनुमोदन दिनांक से 1 माह का समय निर्धारित है विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन 1000 रू. दर से जुर्माना लिया जायेगा। ऑनलाईन डेश बोर्ड में कोई समस्या होने पर उसे 24 घण्टें के भीतर सुधारना आवश्यक होगा विलम्ब होने की स्थिति में प्रतिदिन 2000 रू. की दर से अर्थदण्ड/जुर्माना लिया जायेगा।

23. यदि किसी कारणवश निविदा निरस्त की जाती है तो अमानती राशि वापस की जायेगी अन्य किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति नहीं दिया जायेगा।

कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

24. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी के द्वारा देय नहीं होगा।

25. किसी भी विवाद की स्थिति में **आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर** का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा

26. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो ।

संलग्न :– आवेदन पत्र का प्रारूप।

नगर निवेशक
नगर पालिक निगम,
रायपुर

Scanned with OKEN Scanner